न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया और जे.वी. गुप्ता के समक्ष

राजीव जौहर,-याचिकाकर्ता।

बनाम

प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, रोहतक और दूसरा,-प्रतिवादी।

1983 की सिविल रिट याचिका संख्या 3370।

23 अप्रैल 1985

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कैलेंडर - बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी से संबंधित अध्यादेश - खंड 2.2 - दिसंबर में आयोजित प्रथम व्यावसायिक परीक्षा में सभी विषयों में फेल होने वाले छात्र - ऐसे छात्र को खंड 2.2 के संदर्भ में द्वितीय व्यावसायिक कक्षा में शामिल होने की अनुमति - कहा गया कि छात्र दो विषयों में उत्तीर्ण है और अप्रैल में आयोजित प्रथम व्यावसायिक परीक्षा में से एक में 'पुनः उपस्थित होना' हासिल करना - छात्र ने कहा - क्या दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है - खंड 2.2 में 'असफल' शब्द का अर्थ - समझाया गया।

माना गया कि, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कैलेंडर के बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी (एमबीबीएस) से संबंधित अध्यादेश के खंड 2.2 को पढ़ने पर, 'फेल' शब्द को इसका सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए क्योंकि इसे आम बोलचाल में समझा जाता है। इस प्रकार इसका अर्थ होगा और उसका संदर्भ उस व्यक्ति से होगा जो उत्तीर्ण नहीं हुआ है। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि इसे पहले खंड के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो यह प्रावधान करता है कि केवल प्रथम व्यावसायिक परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति ही द्वितीय एम.बी.बी.एस. में शामिल होने के लिए पात्र होगा। कक्षा और एक उम्मीदवार जो दिसंबर में प्रथम एम.बी.बी.एस. परीक्षा में प्रथम व्यावसायिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, उसे अगले अप्रैल तक अगली उच्च कक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। यह रियायत किसी उम्मीदवार को केवल अप्रैल तक ही उपलब्ध है क्योंकि अध्यादेश के खंड 2.2 की अंतिम पंक्ति द्वारा इरादा और अधिक स्पष्ट कर दिया गया है जो एक अनुवर्ती प्रकृति का है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रैल में फेल होने वाले अभ्यर्थी को यह रियायत नहीं दी जाएगी। उपरोक्त खंड 2.2 में यह भी निर्धारित किया गया है कि यदि छात्र दिसंबर में प्रथम व्यावसायिक परीक्षा में असफल हो जाता है, तो वह द्वितीय व्यावसायिक में शामिल हो सकता है और अप्रैल तक प्रथम व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। हालाँकि, जहाँ छात्र एक पेपर में दोबारा उपस्थित होकर अप्रैल में फर्स्ट प्रोफेशनल को पास करने में असफल रहा है, वहाँ स्पष्ट और असंदिग्ध इरादे के मद्देनजर द्वितीय प्रोफेशनल कक्षा में शामिल होने की रियायत छात्र के पास नहीं है। खंड 2.2 में खुलासा किया गया है। 'री-अपीयर' में 'पास' की तुलना में 'असफल' होने के गुण अधिक होते हैं क्योंकि जिस छात्र को दूसरे पेपर में दोबारा परीक्षा मिलती है उसे फेल होने वालों में से माना जाता है। इस प्रकार, जो छात्र अप्रैल में आयोजित प्रथम व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहा है, वह दूसरे व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जारी रखने का हकदार नहीं होगा।

(अनुच्छेद 3 और 4)

यह मामला 15 फरवरी को माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया द्वारा डिवीजन बेंच को भेजा गया था। 1985 मामले में शामिल कानून के एक प्रश्न के निर्णय के लिए। माननीय श्री न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति जे.वी. गुप्ता की खंडपीठ ने अंततः 23 अप्रैल, 1985 को मामले का फैसला किया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि:-

(ए) उत्तरदाताओं की कार्रवाई एक नहीं है! याचिकाकर्ता को एम.बी.बी.एस. के द्वितीय व्यावसायिक कक्षा सत्र में अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी गई। मेडिकल कॉलेज रोहतक में पाठ्यक्रम गलत और मनमाना है और

इसे रद्द कर दिया जाए और याचिकाकर्ता को द्वितीय व्यावसायिक एमबीबीएस में अपनी कक्षाएं जारी रखने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाए। अवधि;

(बी) उत्तरदाताओं को कोई अन्य रिट, निर्देश या आदेश भी जारी किया जा सकता है जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले की परिस्थितियों के तहत हकदार पाया जा सकता है;

(सी) उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस जारी करने की छूट दी जा सकती है क्योंकि याचिकाकर्ता के पास इसकी तामील करने का समय नहीं है।

(डी) याचिकाकर्ता को याचिका की लागत की भी अनुमति दी जाए।

आगे प्रार्थना की गई है कि वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को जारी रखने की अनुमति दी जाए? उसका एस सेकेंड प्रोफेशनल एम.बी.बी.एस. में पढ़ता है। राजकीय मेडिकल कॉलेज, रोहतक में कक्षाएं।

याचिकाकर्ता के वकील आर. एस. मोंगिया।

जे.एल. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, (राजीव आत्मा राम और राकेश खन्ना, प्रतिवादी के लिए वकील हैं।

आर. सी. सेतिया एडवोकेट, हरियाणा राज्य के लिए।

निर्णय

न्यायमूर्ति जे.वी. गुप्ता

1) याचिकाकर्ता महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से संबद्ध सरकारी मेडिकल कॉलेज, रोहतक का मेडिकल छात्र है। वह एम.बी.बी.एस. में शामिल हो गए। अगस्त, 1981 में पाठ्यक्रम। वह दिसंबर, 1982 में आयोजित फर्स्ट प्रोफेशनल की परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन तीनों विषयों में असफल रहे। हालाँकि, उन्हें खंड 2.2 की शर्तों के तहत अगली उच्च कक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कैलेंडर के बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी (एमबीबीएस) से संबंधित अध्यादेश के अनुसार एम.डी. विश्वविद्यालय ने उस विश्वविद्यालय के नियमों को अपनाया है। अप्रैल, 1983 में उन्होंने फिर से फर्स्ट प्रोफेशनल परीक्षा दी और तीन में से दो विषयों में उत्तीर्ण हुए और तीसरे विषय में 'री-अपीयर' प्राप्त किया। एनाटॉमी का. चूँकि वह अप्रैल में सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो सका, इसलिए उसे अध्यादेश के खंड 2.2 के तहत बनाई गई रोक के मद्देनजर द्वितीय पेशेवर की अगली उच्च कक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई।
2) याचिकाकर्ता ने अदालत में वर्तमान रिट याचिका दायर की है क्योंकि उसे दूसरे पेशेवर के लिए कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस न्यायालय के 26 जुलाई 1983 के आदेश के तहत, याचिका की सुनवाई के समय, याचिकाकर्ता को अपने जोखिम पर दूसरी व्यावसायिक कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी गई थी और रिट याचिका को तीन महीने के भीतर सुनवाई के लिए निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था। . जब रिट याचिका मेरे विद्वान भाई न्यायमूर्ति डी.एस. तेवतिया के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो उन्होंने राजिंदर खंडपुर और अन्य बनाम निदेशक-प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज, रोहतक और अन्य एआईआर 1976 में निर्धारित कानून की शुद्धता के बारे में कुछ आपत्तियां व्यक्त कीं। पंजाब और हरियाणा 295 और मामले को एक बड़ी बेंच को भेज दिया। इस प्रकार यह मामला इस पीठ के समक्ष आया है।
3) इसमें विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या याचिकाकर्ता को द्वितीय प्रोफेशनल की अगली उच्च कक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है, जब वह अप्रैल 1983 में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका। याचिकाकर्ता, चूँकि वह दो पेपरों में उत्तीर्ण हो चुका था और तीसरे पेपर में उसे 'फिर से उपस्थित होना' आवश्यक था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह अध्यादेश के खंड 2.2

के अर्थ में प्रथम व्यावसायिक परीक्षा में असफल हो गया। यहां खंड 2.2 को पुन: प्रस्तुत करना लाभदायक होगा। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है-

"2.2. एक व्यक्ति जिसने प्रथम एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण कर लिया है। कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय की परीक्षा द्वितीय एम.बी.बी.एस. में शामिल होने के लिए पात्र होगी। कक्षा। हालाँकि, एक उम्मीदवार जो प्रथम एम.बी.बी.एस. में असफल हो जाता है। पहली बार दिसंबर में होने वाली परीक्षा में अगले अप्रैल तक अगली उच्च कक्षा में शामिल होने की अनुमति मिल सकती है। यह रियायत उस उम्मीदवार को नहीं दी जाएगी जो अप्रैल या उसके बाद की परीक्षा में असफल हो जाता है।"

विद्वान वकील के अनुसार, उपरोक्त धारा केवल ऐसे उम्मीदवार को वंचित करती है जो अप्रैल या उसके बाद की परीक्षा में असफल हो गया है और दूसरे प्रोफेशनल में जारी रखने से वंचित हो गया है और चूंकि याचिकाकर्ता दो पेपरों में उत्तीर्ण हो चुका है और उसे 'पुनः उपस्थित' होना पड़ा है। तीसरे पेपर में उसे फेल नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर, प्रतिवादी विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि खंड 2.2 के प्रयोजनों के लिए "असफल" को "पास" शब्द के विपरीत पढ़ा जाना चाहिए और इसका अर्थ उस व्यक्ति से होगा जो उत्तीर्ण नहीं हुआ है और चूँकि याचिकाकर्ता उत्तीर्ण होने में असफल रहा था अप्रैल में परीक्षा के बाद, उसे दी गई रियायत समाप्त हो जाती है और खंड 2.2 के तहत विचार के अनुसार, उसे दूसरे प्रोफेशनल में जारी रखने के लिए यह उपलब्ध नहीं था। आगे यह तर्क दिया गया कि इसी तरह के खंड की व्याख्या इस न्यायालय द्वारा राजिंदर खंडपुर के मामले (सुप्रा) में पहले ही की जा चुकी है और चूंकि यह समय की कसौटी पर खरा उतरा है, वही व्याख्या इस मामले में भी लागू की जा सकती है। ऐसा न करने पर, उन्होंने प्रस्तुत किया है, कि किसी भी मामले में, यदि दो व्याख्याएं संभव हैं, तो इस न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए।

4) पार्टियों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि खंड 2.2 की व्याख्या के प्रयोजनों के लिए, "विफल" शब्द को उसका सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए क्योंकि इसे आम बोलचाल में समझा जाता है। इस प्रकार इसका अर्थ होगा और उसका संदर्भ उस व्यक्ति से होगा जो उत्तीर्ण नहीं हुआ है। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि इसे पहले खंड के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो यह प्रावधान करता है कि केवल प्रथम व्यावसायिक परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति ही द्वितीय एम.बी.बी.एस. में शामिल होने के लिए पात्र होगा। कक्षा और एक उम्मीदवार जो प्रथम एम.बी.बी.एस. में अनुत्तीर्ण हो जाता है। प्रथम व्यावसायिक परीक्षा दिसंबर में होने पर अगले अप्रैल तक अगली उच्च कक्षा में शामिल होने की अनुमति मिल सकती है। यह रियायत किसी उम्मीदवार को केवल अप्रैल तक ही उपलब्ध है क्योंकि खंड 2.2 की अंतिम पंक्ति से इरादा अधिक स्पष्ट हो गया है। अध्यादेश का जो अनुदेशात्मक प्रकृति का है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रैल में फेल होने वाले अभ्यर्थी को यह रियायत नहीं दी जाएगी। इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं हुआ है, वह इस रियायत का हकदार नहीं है। इन परिस्थितियों में, सवाल यह उठता है कि क्या याचिकाकर्ता, जिसे तीसरे पेपर में "री-अपीयर" मिला है, क्या यह कहा जा सकता है कि उसने अप्रैल, 1983 में आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसके तर्क का समर्थन करने के लिए विद्वान वकील ने कहा। याचिकाकर्ता ने हमारा ध्यान परिणाम कार्ड के प्रोफार्मा की ओर आकर्षित किया है जिसमें "अनुत्तीर्ण/पुन: परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए" का उल्लेख किया गया है। इससे उनका यह निष्कर्ष निकालने का इरादा है कि असफल होना और दोबारा परीक्षा देना दो अलग-अलग श्रेणियां हैं और इसलिए दोबारा परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को असफल उम्मीदवारों के साथ बराबर नहीं किया जा सकता है और एक बार ऐसा होने पर याचिकाकर्ता को अप्रैल में असफल नहीं कहा जा सकता है। अन्यथा उनका निवेदन यह भी है कि "पुनः परीक्षा" को असफल से भिन्न कोई तार्किक अर्थ दिया जाना चाहिए। हमें डर है कि हम उसके समर्पण में कोई ताकत नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परीक्षा में परिणाम हमेशा यही होता है कि अभ्यर्थी या तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है या फिर उसमें अनुत्तीर्ण हो जाता है। यह रियायत के माध्यम से है कि विश्वविद्यालय ने कुछ मध्यवर्ती चरणों को कंपार्टमेंट या 'री-

अपीयर' के माध्यम से भी प्रदान किया है, लेकिन इन सबका परिणाम यह है कि एक बार 'कम्पार्टमेंट' या 'री-अपीयर' पास नहीं हो पाता है। निर्धारित अवसरों के भीतर, एक असफल उम्मीदवार बना रहता है। मौजूदा मामले में भी यही स्थिति है. यह उपरोक्त खंड 2.2 में निर्धारित किया गया है। कि अगर कोई दिसंबर में फर्स्ट प्रोफेशनल में फेल हो जाता है तो वह सेकंड प्रोफेशनल में शामिल हो सकता है और अप्रैल तक फर्स्ट प्रोफेशनल पास कर सकता है। याचिकाकर्ता अप्रैल में फर्स्ट प्रोफेशनल को पास करने में असफल रहा है और तीसरे पेपर में 'री-अपीयर' पाकर वह हालांकि बाद की परीक्षा में केवल तीसरे पेपर में 'री-अपीयर' देकर फर्स्ट प्रोफेशनल को पास कर सकता है, लेकिन जैसा कि अध्यादेश के खंड 2.2 में बताया गया है, विश्वविद्यालय के बहुत स्पष्ट और स्पष्ट इरादे को ध्यान में रखते हुए, द्वितीय व्यावसायिक वर्ग में शामिल होने की रियायत उसे खो दी गई है। वर्तमान मामले में 'री-अपीयर' में 'पास' की तुलना में 'असफल' होने के गुण अधिक हैं, क्योंकि जिस याचिकाकर्ता को तीसरे पेपर में 'री-अपीयर' मिला है, उसे तब तक फेल माना जाता है जब तक वह पास नहीं हो जाता। वह पेपर और वह स्पष्ट रूप से अप्रैल 1983 के बाद होगा। अप्रैल 1983 के लिए, उन्हें कभी भी 'पास' उम्मीदवारों में से एक नहीं माना जाएगा।

5) हालाँकि शुरू में राजिंदर खांडपुर के मामले (सुप्रा) में अपनाए गए दृष्टिकोण के बारे में कुछ आपत्तियाँ थीं, लेकिन अंततः हम उसी दृष्टिकोण को अपनाने के इच्छुक हैं और उसमें दी गई निम्नलिखित टिप्पणियों से इसका समर्थन किया जाता है:

"नियमित संख्या 12 द्वारा जो प्रदान किया गया है, वह यह है कि यदि प्रथम व्यावसायिक कक्षा का कोई छात्र दिसंबर में होने वाली वार्षिक परीक्षा में पहली बार असफल होता है, तो उसे अगले अप्रैल तक द्वितीय व्यावसायिक कक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है, और वह एक प्रकार की रियायत होगी जो उसे तब उपलब्ध नहीं होगी यदि वह अप्रैल में होने वाली पूरक परीक्षा में, या प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के विषय में बाद में आयोजित होने वाली किसी अन्य ऐसी परीक्षा में फिर से असफल हो जाता है। उपरोक्त विनियम का पहला वाक्य ऊपर बताए गए सामान्य नियम के अनुरूप है, और स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि प्रथम व्यावसायिक वर्ग के छात्र को द्वितीय व्यावसायिक वर्ग में तब तक पदोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह प्रथम व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता। यह स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है कि द्वितीय व्यावसायिक वर्ग में पदोन्नति का दावा प्रथम व्यावसायिक वर्ग का छात्र तभी कर सकता है जब वह प्रथम व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। हालाँकि, विनियमन संख्या 12 का दूसरा वाक्य यह प्रदान करता है कि प्रथम पेशेवर का एक छात्र दिसंबर में आयोजित वार्षिक परीक्षा में पहली बार फेल होने पर द्वितीय व्यावसायिक कक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। वह महज एक रियायत है और वह भी अनर्गल नहीं है. यह उन्हें केवल अप्रैल महीने तक उपलब्ध है जब प्रथम व्यावसायिक परीक्षा (पूरक) आयोजित की जाती है। यदि वह अप्रैल में या उसके बाद के किसी भी महीने में आयोजित उक्त प्रथम व्यावसायिक परीक्षा (पूरक) में सभी विषयों में फिर से उत्तीर्ण होने में विफल रहता है, तो उक्त रियायत समाप्त हो जाएगी और वह अब उसके लिए उपलब्ध नहीं होगी, और उसे ऐसा करना होगा। प्रथम व्यावसायिक कक्षा पर वापस जाएँ। उपरोक्त विनियम के अंतिम वाक्य से यही स्पष्ट होता है। इसलिए, विनियम संख्या 12 का उचित विश्लेषण स्पष्ट रूप से बताता है कि प्रथम व्यावसायिक वर्ग का एक छात्र भी, यदि वह उस कक्षा के लिए दिसंबर में आयोजित वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में उत्तीर्ण होने में विफल रहता है, तो वह द्वितीय व्यावसायिक वर्ग में पदोन्नति का हकदार नहीं है। ; उसे केवल रियायत के माध्यम से, अगले अप्रैल में या उसके बाद के किसी भी महीने में होने वाली पूरक परीक्षा तक दूसरे व्यावसायिक वर्ग में भाग लेने की अनुमति है, लेकिन यदि वह फिर से पहले के सभी विषयों में उत्तीर्ण होने में विफल रहता है पूरक परीक्षा में प्रोफेशनल वर्ग के लिए उक्त रियायत उसे उपलब्ध नहीं होगी और उसे कनिष्ठ वर्ग के साथ वार्षिक परीक्षा में उन विषयों में शामिल होना होगा जिन्हें वह दिसंबर में आयोजित वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर सका था। और अप्रैल के महीने में या उसके बाद किसी अन्य महीने में आयोजित पूरक परीक्षा में भी।"

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी कैलेंडर का विनियम संख्या 12 था जिसकी व्याख्या की जा रही थी जो कि पैरा मैटेरिया क्लॉज 2.2 है। वर्तमान अध्यादेश का. इस प्रकार याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया तर्क कि उसे परीक्षा में असफल नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह दो पेपरों में उत्तीर्ण हुआ था और तीसरे पेपर में 'री-अपीयर' आया था, बलहीन है क्योंकि कोई सार्थक अंतर नहीं किया जा सका। उसके द्वारा इंगित किया गया।

6) मामले का एक दूसरा पहलू भी है. वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम डॉ. रायकिशोर त्रिपाठी एवं अन्य ए.आई.आर. 1977 एस.सी. 615 विश्वविद्यालय के अनुशासन या आंतरिक मामलों के प्रशासन से संबंधित मामले से निपटते समय, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की: -
"हम यह भी देखना चाहेंगे कि, किसी विश्वविद्यालय के अनुशासन या आंतरिक मामलों के प्रशासन से संबंधित मामले में, अदालतों को हस्तक्षेप करने में सबसे अधिक अनिच्छुक होना चाहिए। उन्हें तब तक निषेधाज्ञा देने से इनकार कर देना चाहिए जब तक कि शैक्षणिक संस्थानों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए प्रथम दृष्टया कोई अच्छा मामला न बन जाए।"

उस सिद्धांत के आधार पर भी हम इस मामले में हस्तक्षेप करने में अनिच्छुक हैं क्योंकि नियमों का कोई खुला उल्लंघन नहीं है और न ही विश्वविद्यालय द्वारा की गई व्याख्या को बेतुका या अनुचित कहा जा सकता है।

7) मामले के इस दृष्टिकोण में, रिट याचिका विफल हो जाती है और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

8) इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17 सितंबर, 1984 द्वारा, याचिकाकर्ता को एम.बी.बी.एस. की दूसरी व्यावसायिक परीक्षा के शेष पेपर में बैठने की भी अनुमति दी गई थी। जो 12 सितंबर, 1984 को शुरू हुआ। बार में यह कहा गया है और इनकार नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता उपस्थित हुआ लेकिन उसका परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है। इस रिट याचिका के लंबित होने के कारण विश्वविद्यालय। इन परिस्थितियों में, यह उम्मीद की जाती है कि विश्वविद्यालय बाद की घटनाओं को ध्यान में रखेगा और याचिकाकर्ता के मामले में उचित आदेश पारित करेगा। हालाँकि, पारित कोई भी आदेश दूसरों के लिए कोई मिसाल कायम नहीं करेगा। '

एच.एस .बी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वहअपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अरुणिमा चौहान

प्रशिक्षु न्यशियक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पंचकुला, हरियाणा